



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222173
CG-DL-E-01102020-222173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

फ़ा.सं. पीएनजीआरबी/ प्राधिकरण/7-विविध (03)/2015 (पी-143)—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (19 का 2006) की धारा 61 और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य:

इन विनियमों का उद्देश्य अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना है अर्थात्:-

- (क) संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना;

- (ख) संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
- (ग) निष्फल निवेश से बचना; या
- (घ) आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना या समान वितरण हासिल करना या उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3. परिभाषाएं:

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) है;
- (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबद्ध" में अन्य व्यक्ति या इसका विपरीत क्रम शामिल होगा:-
 - (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं द्वारा, या कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, ऐसे ऊपर उल्लिखित पहले व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है; या
 - (ii) जो पहले व्यक्ति के कुल मतदान अधिकार का कम से कम बीस प्रतिशत नियंत्रण रखता है; या
 - (iii) जो ऊपर उल्लिखित पहले व्यक्ति की धारिता कंपनी या सहायक कंपनी है; या
 - (iv) ऐसे अन्य मामलों में जहां बोर्ड का यह विचार है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों और कारकों के आधार पर एक सहयोगी माना जाएगा जिसमें नियंत्रण, स्वतंत्रता, हितों का टकराव शामिल है;
- (ग) "अधिकृत क्षेत्र" का अर्थ वह होगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करना) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है;
- (घ) "अधिकृत संस्था" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में परिभाषित अनुसार होगा;
- (ङ.) "बोर्ड" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड होगा;
- (च) "सीजीडी नेटवर्क" का अर्थ "नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क" जैसा कि अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित किया गया है;
- (छ) "सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्षमता" का अर्थ है ओपन एक्सेस के लिए सीजीडी नेटवर्क में क्षमता, जैसा कि अधिकृत संस्था की अपनी आवश्यकता के अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 के तहत घोषित किया गया है;
- (ज) "सीजीडी नेटवर्क क्षमता" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) विनियम, 2015 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में परिभाषित अनुसार होगा;
- (झ) "विपणनकर्ता" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 के विनियम 2 के खंड (य) में परिभाषित अनुसार होगा;

- (ज) "विपणन विशिष्टता" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के विनियम 6 में निर्दिष्ट अनुसार सामान्य वाहक या संविदा वाहक के कार्यक्षेत्र से विशिष्टता होगी;
- (ट) किसी अधिकृत संस्था के संबंध में, "निजी आवश्यकता" का अर्थ सीजीडी नेटवर्क क्षमता का वह हिस्सा है, जो अधिकृत संस्था या उसके सहयोगियों द्वारा उपयोग की जाती है, जिसमें सिस्टम द्वारा गैस का उपयोग शामिल है;
- (ठ) "सिस्टम द्वारा प्रयुक्त गैस" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2011 के उप-विनियम (1) के उप-खंड (1) के रूप में परिभाषित अनुसार होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, और जिन्हें विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, क्रमशः अधिनियम में या ऐसे नियमों या अन्य विनियमों, जैसा मामला हो, में उन्हें निर्दिष्ट किया गया अर्थ होगा।

4. कार्यक्षेत्र:

ये विनियम किसी अधिकृत क्षेत्र की विपणन विशिष्टता अवधि की समाप्ति के बाद किसी अधिकृत संस्था पर लागू होंगे।

5. सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में अधिकृत क्षेत्र के नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत:

बोर्ड अधिकृत संस्था के सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करते समय, इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा जिसमें अधिनियम की धारा 20 के तहत एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में सीजीडी नेटवर्क घोषित करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित सिद्धांतों का पालन करना शामिल होगा।

6. किसी अधिकृत क्षेत्र के सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने या अधिनियम की धारा 20 के तहत विनियमित करने या अनुमति देने की प्रक्रिया:

(1) बोर्ड (वेबहोस्टिंग सहित) एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र (संबंधित प्राधिकृत क्षेत्र का) में, किसी अधिकृत संस्था के सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक या विनियमित करने की घोषणा करने के लिए या ऐसे सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच की अनुमति देने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा, जिसमें संबंधित सीजीडी नेटवर्क का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा, जिसे बोर्ड एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में विनियमित करने या इसकी अनुमति देने के लिए लागू करना चाहता है और ऐसे सार्वजनिक नोटिस जारी होने के तीस दिन के अंदर इस निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हों, आमंत्रित करना चाहता है।

(2) संबंधित अधिकृत संस्था, जिसके सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित किए जाने का विचार है, ऐसे सार्वजनिक नोटिस जारी होने के तीस दिनों के भीतर, बोर्ड को एक लिखित प्रस्तुति दे सकती है, जिसमें यह कारण दिए जाएंगे कि उसके सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक क्यों घोषित नहीं किया जाना चाहिए और एक्सेस के लिए कोई विनियम नहीं होना चाहिए या किसी तृतीय पक्ष को सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच प्रदान नहीं की जानी चाहिए, जिसमें संगत सार्वजनिक नोटिस में बोर्ड द्वारा उल्लिखित समस्याओं का समाधान शामिल हो, और अधिनियम में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए

सहायक आंकड़े और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि अधिकृत संस्था कोई लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत नहीं करती है, तो यह माना जाएगा कि उसे सार्वजनिक नोटिस में बोर्ड के आशय के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

- (3) अधिकृत संस्था, जिसका सीजीडी नेटवर्क उप-विनियम (1) के तहत जारी सार्वजनिक नोटिस से संबंधित है, को इस मुद्दे पर अलग से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा कि बोर्ड को उप-विनियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित प्रक्रिया को लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसी अधिकृत संस्था उप-विनियम (1) के तहत जारी नोटिस का विरोध नहीं करती है, इस उप-विनियम (3) के तहत अलग से सुनवाई नहीं होगी।
- (4) उप-विनियम (1) के तहत आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, को प्रस्तुत करने की अनुमति की अवधि समाप्त होने पर, बोर्ड अधिकृत संस्था को उसकी प्रतिक्रिया पंद्रह दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को अग्रेषित करेगा।
- (5) बोर्ड ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं सहित सभी शेयरधारकों को आमंत्रित कर सकता है, जिन्होंने एक ओपन हाउस की बैठक के लिए उप-विनियम (1) के तहत अपनी आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत किए हैं।
- (6) बोर्ड उपर्युक्त उप-विनियम (5) के तहत ओपन हाउस के आयोजन की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, अपने निर्णय को अधिसूचित करेगा कि क्या वह किसी सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क के रूप में घोषित कर रहा है या पहुंच को विनियमित करने या उस तक पहुंच बनाने की अनुमति दे रहा है, और लागू निबंधन एवं शर्तें क्या होंगी और यह ऐसा निर्णय किस तारीख से प्रभावी होगा।
- (7) अधिकृत संस्था, अपने स्वयं के अधिकृत क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क की घोषणा के लिए एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क के रूप में आवेदन कर सकती है। बोर्ड उप-विनियम (1) से (7) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद *आवश्यक परिवर्तनों सहित* ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर तथा ऐसी तारीख, जैसा बोर्ड निर्धारित करे, सीजीडी नेटवर्क को एक सामान्य वाहक या संविदा वाहक नेटवर्क घोषित कर सकता है।

7. विविध:

- (1) बोर्ड को इन विनियमों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा और किसी भी विवाद के मामले में, बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (2) यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./265/2020-21]

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

F. No. PNGRB/Auth/7-Misc(03)/2015 (P-143).— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) and other applicable provisions of the said Act, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations:-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Guiding Principles for Declaring City or Local Natural Gas Distribution Networks as Common Carrier or Contract Carrier) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective:

The objective of these regulations is to implement the provisions of the Act to achieve the objectives stated therein, namely:-

- (a) protecting the interests of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities;
- (b) promoting competition among entities;
- (c) avoiding infructuous investment; or
- (d) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensuring adequate availability of natural gas to consumers.

3. Definitions:

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);
- (b) "Associate", in relation to a person shall include another person or vice versa: —
 - (i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with some other persons, exercises control over the first said person; or
 - (ii) who holds control of at least twenty percent of the total voting right of the first person; or
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first said person; or
 - (iv) in such other cases where the Board is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence, conflict of interest;
- (c) "Authorized area" shall have the meaning as defined in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008;
- (d) "Authorized entity" shall have the meaning as defined in clause (d) of section 2 of the Act;
- (e) "Board" shall mean the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
- (f) "CGD network" means a "city or local natural gas distribution network" as defined in clause (i) of section 2 of the Act;
- (g) "common carrier or contract carrier capacity" means the capacity in a CGD network for open access, as declared by the authorised entity under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, over and above the authorized entity's own requirement;
- (h) "CGD network capacity" shall have the meaning as defined in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2015;
- (i) "marketer" shall have the meaning as defined in clause (z) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011;
- (j) "marketing exclusivity" shall mean the exclusivity from the purview of common carrier or contract carrier as specified in regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008;
- (k) "own requirement", in respect of an authorized entity, means that part of the CGD network capacity, which is utilized by the authorized entity or its associates, including the system use gas;
- (l) "system use gas" shall have the meaning as defined in clause (zn) of sub-regulation (1) of

regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011

- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules or other regulations, as the case may be.

4. Scope:

These Regulations shall apply to an authorised entity after expiry of marketing exclusivity period of an authorised area.

5. Guiding Principles for Declaring the City or Local Natural Gas Distribution Network of an authorised area as Common Carrier or Contract Carrier:

The Board shall, in seeking to declare CGD Network of an authorised entity as a common carrier or contract carrier, follow the provisions of these regulations which constitute the guiding principles to be followed by the Board for declaring the CGD network as a common carrier or contract carrier under section 20 of the Act.

6. Procedure for Declaring the CGD Network of an authorised area as a Common Carrier or Contract Carrier or Regulating or Allowing Access thereto under Section 20 of the Act:

- (1) The Board shall issue (including webhosting), a public notice in one national and one vernacular daily newspaper (of the relevant authorized area) of its intention to declare the CGD network of an authorised entity as common carrier or contract carrier or regulate or allow access to such CGD network, giving brief details of the relevant CGD network that the Board is intending to regulate or allow access to or declare as a common carrier or contract carrier and invite objections and suggestions, if any, within thirty days from the issuance of such public notice from all persons and entities likely to be affected by such decision.
- (2) The relevant authorized entity whose CGD network is intended to be declared as common carrier or contract carrier may submit, within thirty days from the issuance of such public notice, a written submission to the Board providing reasons as to why its CGD network should not be declared a common carrier or contract carrier or why there should be no regulation of access or no third party should be provided access to its CGD network including addressing the grounds mentioned by the Board in the relevant public notice, and any of the objectives specified in the Act with supporting data and documents. In case, the authorised entity does not submit any written submissions, it shall be presumed that it has no objection to the Board's intention stated in the public notice.
- (3) The authorized entity, whose CGD network is subject matter of the public notice issued under sub-regulation (1), shall be provided with a separate hearing on the issue as to whether the Board should proceed further with the process notified under sub-regulation (1). In the event such authorized entity does not oppose the notice issued under sub-regulation (1), the separate hearing under this sub-regulation (3) shall not be held.
- (4) On expiry of the period allowed for submission of objections and suggestions, if any, under sub-regulation (1), the Board shall forward the objections and suggestions so received, to the authorised entity with the direction to submit its response within fifteen days.
- (5) The Board may invite all stakeholders including such persons and entities who have offered their objections and suggestions under sub-regulation (1) for an open house meeting.
- (6) The Board shall after completion of the process of holding an open house under sub-regulation (5) above, notify its decision as to whether it is declaring the CGD network as a common carrier or contract carrier network or regulating access or allowing access to the same, and the applicable terms and conditions and the date from which such decision shall come into effect.
- (7) The authorized entity may, on its own, apply to the Board seeking declaration of the CGD network in its authorised area as a common carrier or contract carrier network. The Board may after following the process specified in sub-regulations (1) to (7) as may be *mutantis mutandis applicable*, declare such

CGD network as a common carrier or contract carrier network on such terms and conditions and from such date as the Board may deem fit.

7. Miscellaneous:

- (1) The Board shall have the power to issue clarifications with regard to these regulations and in case of any dispute, the clarification given by the Board shall be final and binding.
- (2) If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.

VANDANA SHARMA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./265/2020-21]